रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2002/पौष 20, 1923 [रा.रा.रा.क्षे.दि.स. सं. 07
No. 6] DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2002/PAUSA 20, 1923 [N.C.T.D. No. 07

MediaCode

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 जनवरी, 2002

सं. फा. 11/21/2000/गृ.पु.-II/(i)/155.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 2 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या यू.-11015/1/2001-यू.टी.एल./(206) के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में यथा विस्तारित, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 30) की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल नियुक्त तिथि 10 जनवरी, 2002 से उक्त अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू करते हैं।

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 10th January, 2002

No. F. 11/21/2000/HP/(i)/155.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999), as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide Govrernment of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11015/1/2001-UTL(206) dated the 2nd of January, 2002, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the 10th day of January, 2002 as the date on which the said Act shall come into force.

सं. फा. 11/21/2000/गृ.पु-II/(ii)/255.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 2 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या यू.-11015/1/2001-यू.टी.एल./(206) के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथा विस्तारित, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 30) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

1. यदि डिक्री की गई धनराशि अथवा संपत्ति का मूल्य, ऋण अथवा नुकसानी जो डिक्री किये जा चुके हैं रु. 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) से अधिक नहीं होगी तो न्यायालय में अपील के प्रयोजनों हेतु मूल्यानुसार, शुल्क की गणना रु. 14,500/- (रुपये चौदह हजार पाँच सौ) पर की जायेगी तथा शेष पर एक प्रतिशत की दर से तथापि इस शर्त के अध्यधीन कि किसी भी स्थिति में शुल्क की धनराशि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक नहीं होगी अथवा 'वास्तविक' शुल्क इनमें से जो भी कम हो, बशर्ते कि शुल्क का प्रमाण-पत्र अवश्य दाखिल कर दिया जाये।

II. वर्तमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

8. **विविध कार्यवाहियाँ :**—किसी भी विविध कार्यवाहियों अथवा वाद में डिक्री से पूर्व पेश होने, कार्य करने या अभिवचन करने से भिन्न किसी बात के लिये शुल्क, कार्यवाहियों अथवा मामले की प्रकृति एवं महत्व के प्रतिनिर्देश से, न्यायालय द्वारा नियत किया जायेगा; परन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे शुल्क के विषय में आज्ञापित धनराशि रु. 2,000/- (रुपये दो हजार) से अधिक अथवा रु. 500/- (रुपये पांच सौ) से कम न होगी।

III. वर्तमान नियम 15 के प्रथम परन्तुक, उप-पैरा (i) तथा (ii) में प्रयोग किये गये अंकों 'रु. 75/-' एवं 'रु. 15/-' के स्थान पर क्रमश: 'रुपये 750/-' तथा 'रु. 250' अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

नोट :—उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

HIGH COURT OF DELHI
NOTIFICATIONS

Delhi, the 1st April, 2002

Endst. No. 9160/Rules/DHC/No. 45/Rules.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 read with Article 225 of the Constitution of India, Clause 27 of the Letters Patent and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in Chapter 6-I of High Court Rules and orders, Volume-V, namely :—

1. For the existing rule 1 the following shall be substituted :—

I. **Suits for debt damages and recovery of specific property.**—In Suits for the recovery of specific property, or a share of specific property, whether movable or immovable, or for the breach of any contract or for damages :—

If the amount or value of the property, debt or damages decreed shall not exceed rupees five lacs (Rs. 5,00,000/-) according to the valuation for purposes of appeal to the Court, the fee shall be calculated at Rs. 14,500/- (Rupees fourteen thousand five hundred) and on the remainder at 1 per cent subject, however, that in no case the amount of fee shall exceed Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand) or the actual, whichever is less, subject to the condition that a certificate of fee must be filed.

II. For the existing Rule 8, the following shall be substituted :—

8. **Miscellaneous proceedings.**—In any miscellaneous proceedings or for any matter other than that of appearing, acting or pleading in a suit prior to decree, the fee shall be fixed by the Court with reference to the nature and importance of the proceedings or matter;

Provided that in no case shall the amount allowed in respect of such fee exceed Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) or below Rs. 500/- (Rupees five hundred).

III. In the existing first proviso to rule 15, sub paras (i) and (ii) for the figures 'Rs. 75' and 'Rs. 15', figures 'Rs. 750/-' and 'Rs. 250/-' respectively shall be substituted.

NOTE.—These amendments shall come into force with immediate effect.

पृष्ठांकन सं. 9159/नियम/दि. उ. न्या./सं. 44./नियम.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित, लैटर्स पेटेंट के खण्ड 27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद्द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल शाखा) नियम 1967 के अध्याय XXIII की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

वर्तमान अध्याय XXIII की अनुसूची के पैरा ए (2) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

(2) यदि धनराशि अथवा मूल्य पाँच लाख रुपये से अधिक होगा तो रुपये पाँच लाख पर यथा उपरोक्त व शेष पर एक प्रतिशत की दर से

तथापि इस शर्त के अध्यधीन कि किसी भी दशा में शुल्क की धनराशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक नहीं होगी अथवा 'वास्तविक' शुल्क इनमें से जो भी कम हो, बशर्ते शुल्क का प्रमाणपत्र अवश्य दाखिल कर दिया जाये।

नोट :—उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार
भारत भूषण, महानिबन्धक

Endst. No. 9159/Rules/DHC/No. 44/Rules.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 read with Article 225 of the Constitution of India, Clause 27 of the Letters Patent and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in Schedule to Chapter XXIII of Delhi High Court (Original Side) Rules, 1967, namely :—

The following shall be substituted for the existing para A(2) to Schedule (Table of Fees) to Chapter XXIII :-

(2) If the amount or value shall exceed Rs. Five Lakh, on Rs. Five Lakh as above and on the remainder at 1 per cent subject, however, that in no case the amount of fee shall exceed Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand) or the actual, whichever is less, subject to the condition that a certificate of fee must be filed.

NOTE :—These amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court
BHARAT BHUSHAN, Registrar General

वित्त (व्यय-I) विभाग

आदेश

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2002

सं. फा. 2 (32)/2001-2002/वित्त (व्यय-I)/1345 ख.—वित्त सामान्य भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना सं. फा. 2 (5)/61-न्याय-2 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक अधिनियम (1899 की 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनपैक होटल्स एण्ड रिसोर्टस प्राईवेट लिमिटेड, एस. यू. 5-6, डीडीए बिल्डिंग, भीकाजी कामा भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले 35,00,000/- (पैंतीस लाख केवल) प्रमाण पत्रों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
दीपक वीरमानी, उप सचिव

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 1st April, 2002

No. F. 2(32)/2001-2002/Fin. (E-I)/1345 Kha.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s Inpac Hotels & Resorts Private Limited, SU, 5-6, DDA Building, Bhikaji Cama Bhawan, Bikaji Cama Place, New Delhi-110 066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 35,000/- (Rupees Thirty Five Thousand only) on 35,00,000 (Thirty Five Lacs only) share certificates to be issued by the said Company.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
DEEPAK VIRMANI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.